प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रित याचिका (सेवा) क्रमांक 4286/2012

याचिकाकर्ता काशिफ़ रज़ा पाशा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनाँक 13 जनवरी, 2013 को सूचीबद्ध करे

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4286/2012

याचिकाकर्ता काशिफ़ रज़ा पाशा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित : श्री मतीन सिद्दीकी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री संजय के. अग्रवाल, महाधिवक्ता सह श्री पंकज श्रीवास्तव, राज्य/उत्तरवादी के लिए पैनल अधिवक्ता।

श्री जितेंद्र पाली, हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आ दे श

(दिनाँक 01.01.2013 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी राज्य को निर्देश देने की मांग की है कि याचिकाकर्ता द्वारा मॉडल उत्तरों के संबंध में उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया जाए और आगे, राज्य को निर्देशित किया जाए कि मॉडल उत्तरों को सही करे और आगे की कार्यवाही की जाए।

2. संक्षेप में, इस प्रकरण के निर्णय हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 15.12.2011 को विभिन्न पदों जैसे कि सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर तथा कुछ विशेष पदों के लिए उप निरीक्षक, कुल 758 पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त पदों के लिए आवेदन किया और प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ, जिसमें वह सफल घोषित हुआ। तत्पश्चात, दिनाँक 24.06.2012 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी और सामान्य ज्ञान विषय शामिल थे। लिखित परीक्षा के मॉडल उत्तर इंटरनेट पर अपलोड किए गए। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने प्रश्नपत्र का सेट-डी हल किया था, जिसमें मॉडल उत्तरों में कुछ अनियमितताएँ थीं। याचिकाकर्ता ने गलत चुने गए उत्तरों, जो कि गलत थे, के संबंध में आपत्ति उठाई। उत्तरवादी राज्य ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों के साथ-साथ परीक्षा में शामिल हुए अन्य परीक्षार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भी विचार

किया, जिसमें छह आपत्तियों में से चार सही पाई गईं। याचिकाकर्ता ने हिंदी और अंग्रेज़ी विषयों के मॉडल उत्तरों के संबंध में भी आपत्तियाँ उठाईं, जिसपर उत्तरवादीगण ने विचार नहीं किया। अन्य कई परीक्षार्थियों ने भी कुल 15 आपत्तियाँ उठाईं, जिनमें से केवल दो पर विचार किया गया। बाद में याचिकाकर्ता ने सामान्य ज्ञान विषय के दो मॉडल उत्तरों पर फिर से आपत्ति उठाई, जिन्हें पहले उत्तरवादीगण ने नहीं माना था। इस प्रकार, सामान्य ज्ञान विषय में कुल चार प्रश्न पुनर्विचार हेतु शेष रहे। याचिकाकर्ता की आपत्तियाँ अस्वीकार किए जाने के बाद उसने हिंदी और अंग्रेज़ी विषयों में पुनर्विचार हेतु फिर से आपत्ति प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया, इसलिए यह याचिका दायर की गई।

3. श्री मतीन सिद्दीकी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न अवसरों पर अपने आपत्तियों को सहायक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया था, जिससे यह स्पष्ट होता था कि मॉडल उत्तर गलत थे। फिर भी, राज्य ने उन आपत्तियों पर विचार नहीं किया। कुल 15 आपत्तियाँ समान रूप से स्थित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई थीं, जिनमें से केवल दो पर विचार किया गया। उत्तरवादीगण की यह कार्रवाई मनमानी और अन्यायपूर्ण है। उत्तरवादी राज्य इस बात के लिए बाध्य है कि परीक्षा को उचित तरीके से आयोजित करे। श्री पाली ने अंत में यह भी तर्क दिया कि इसी प्रकार के मुद्दे से संबंधित याचिका, अर्थात् रिट याचिका क्रमांक 2457/2009 संजय तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं अन्य संबंधित मामले में, राज्य सरकार को अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच हेतु एक उचित समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। अतः इस याचिका में भी इसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. श्री संजय के. अग्रवाल, महाधिवक्ता, सह श्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि कुल 758 पदों के लिए विज्ञापन दिनाँक 15.12.2011 को प्रकाशित किया गया था, जिनमें उप निरीक्षक (जी.डी.), उप निरीक्षक (रेडियो), उप निरीक्षक (क्यू.डी.), उप निरीक्षक (फिंगर प्रिंट), सूबेदार और प्लाटून कमांडर शामिल थे। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद, भर्ती के पहले चरण अर्थात् शारीरिक मानक परीक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों को 38,286 प्रवेश पत्र जारी किए गए, जो दिनाँक 09.04.2012 से दिनाँक 19.04.2012 तक आयोजित किया गया था। उक्त परीक्षा में 23,155 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। तत्पश्चात दिनाँक 13.05.2012 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 11,870 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके बाद दिनाँक 24-25.06.2012 को मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 11,482 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए और शेष 388 अनुपस्थित रहे। सामान्य ज्ञान तथा हिंदी और अंग्रेज़ी दक्षता के मॉडल उत्तर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनाँक 10.07.2012 को अपलोड किए गए और 15 दिनों के भीतर,

अर्थात् दिनाँक 25.07.2012 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। कुल 60 अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा निराकरण किया गया और उसी अनुसार परिणाम दिनाँक 25.08.2012 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम दिनाँक 11.10.2012 को घोषित किया गया, जिसमें 3,684 अभ्यर्थी भर्ती की अगली अवस्था के लिए सफल घोषित किए गए।

5. श्री अग्रवाल ने आगे प्रस्तुत किया कि आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया, जिन्होंने विधिवत उन पर विचार किया और तत्पश्चात परिणाम भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। संपूर्ण चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उचित सावधानी बरती गई। कुछ आपत्तियाँ, जो अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई थीं, सही नहीं पाई गईं, अतः समिति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ता का यह कथन कि उसकी आपत्तियों पर उत्तरवादीगण ने उचित प्रतिक्रिया नहीं दी, अस्पष्ट है, जो कि दस्तावेज़ (अनुलग्नक आर/2) के अवलोकन से स्पष्ट होता है। समिति ने याचिकाकर्ता की कुछ आपत्तियों को उचित पाया और उन प्रश्नों के मॉडल उत्तरों में संशोधन किया, जो अनुलग्नक आर/2 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को उत्तरवादीगण के रूप में पक्षकार हेतु शामिल नहीं किया है। अतः केवल इसी आधार पर यह याचिका अपास्त किए जाने योग्य है। श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं अपना न्यायाधीश नहीं बन सकता और विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों को मनमाने, अस्पष्ट और निराधार कारणों से नकार नहीं सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. श्री अग्रवाल ने अतिरिक्त जवाब पर भरोसा करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका में उन उत्तरवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया है, जो चयन प्रक्रिया में सफल घोषित किए गए हैं। परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की सूची स्पष्ट रूप से दी गई है। याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञ समिति के उस निर्णय को भी चुनौती नहीं दी है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और जो सभी अभ्यर्थियों के लिए आसानी से सुलभ था। अतः, उक्त को चुनौती न दिए जाने की स्थिति में विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम हो गया है। याचिकाकर्ता ने राज्य द्वारा उसकी आपत्तियों पर विचार किए जाने के बाद दूसरी बार आपत्ति प्रस्तुत की, जो स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि दूसरी आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, विलंब के आधार पर भी यह याचिका अपासत किए जाने योग्य है।

7. अंत में, श्री अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने केवल 275.9518 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि अंतिम चयनित अभ्यर्थी ने 347.39 अंक प्राप्त किए, अतः तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता की आपत्ति सही है, तब भी याचिकाकर्ता के चयनित होने की संभावना नहीं है। इसलिए यह याचिका अपास्त किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में, श्री अग्रवाल ने उच्चतम न्यायालय के

निर्णयों, मनोहरलाल (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारीगण बनाम उग्रसेन (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारीगण एवं अन्य[1], बसवैय्या (डॉ.) बनाम डॉ. एच.एल. रमेश एवं अन्य[2] तथा सजीश बाबू के. बनाम एन.के. संथोष एवं अन्य[3] पर भरोसा किया।

8. हस्तक्षेपकर्ता आतिफ़ रज़ा पाशा ने भी इस याचिका में हस्तक्षेप हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, यह कहते हुए कि उसने मुख्य परीक्षा में भाग लिया था, परंतु राज्य/उत्तरवादीगण द्वारा अपनाई गई त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण हस्तक्षेपकर्ता चयनित नहीं हो सका और अंक कम रह गए। यदि राज्य ने उत्तरों के चयन हेतु उचित प्रक्रिया अपनाई होती, तो हस्तक्षेपकर्ता चयनित हो सकता था।

9. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा याचिका और संलग्न दस्तावेजों का पर्यवेक्षण किया गया।

10. इस न्यायालय ने दिनांक 15.10.2012 के आदेश द्वारा अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि अंतिम चयन सूची को अगली सुनवाई की तिथि तक लागू नहीं किया जाएगा, और तत्पश्चात वह अंतरिम राहत जारी रही।

11. राज्य/उत्तरवादीगण द्वारा दाखिल जवाबदावा के अनुसार प्राप्त आपत्तियों की संख्या, स्वीकार की गई आपत्तियाँ तथा तदनुसार निरस्त किए गए प्रश्न इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक	विषय	जिन प्रश्नों पर आपत्तियाँ प्राप्त हुई	जिन प्रश्नों की आपत्तियाँ स्वीकार की गईं	जिन प्रश्नों की आपत्तियाँ निरस्त की गईं	मुद्रण त्रुटि हेतु हटाए गए प्रश्न
1.	सामान्य ज्ञान	25	7	18	-
2.	हिन्दी	13	2	10	1
3.	इंग्लिश	2	-	1	1

12. यह निर्विवाद है कि शारीरिक परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा दिनाँक 25.06.2010 को पूर्ण हो चुकी थी। इसके पश्चात दिनाँक 10.07.2012 को मॉडल उत्तर वेबसाइट पर अपलोड किए गए और दिनाँक 25.07.2012 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। याचिका के अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ दिनाँक 25.07.2012 से पूर्व प्रस्तुत की गई थीं या

1 (2010) 11 एससीसी 557
2 (2010) 8 एससीसी 372
3 जेटी 2012 (10) एससीसी 614

नहीं, क्योंकि दस्तावेज़ (अनुलग्नक पी/5) में कोई तिथि अंकित नहीं है। याचिकाकर्ता तथा अन्य समान रूप से स्थित अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति ने विधिवत विचार किया, जिसमें डॉ. जय प्रकाश साहू, श्री रमेश अनुपम, श्री थानसिंह वर्मा, डॉ. सुभद्रा राठौर और डॉ. राजेश दुबे सम्मिलित थे, जिसे दिनाँक 03.08.2012 को गठित किया गया, और इसके अतिरिक्त एक अन्य समिति, जिसमें डॉ. तपस मुखर्जी, डॉ. तरलोचन कौर संधू तथा श्रीमती अनीता शंकर सम्मिलित थीं, का गठन दिनाँक 04.08.2012 को किया गया, ताकि मुख्य लिखित परीक्षा के "हिंदी एवं अंग्रेज़ी में दक्षता" विषय से संबंधित आपत्तियों पर विचार किया जा सके। उक्त समिति का गठन पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज द्वारा किया गया था। समिति ने सभी अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो अनुलग्नक आर/2 (याचिका के पृष्ठ 16 से 31) से स्पष्ट है। सभी आपत्तियाँ, जिनमें याचिकाकर्ता की आपत्तियाँ भी सम्मिलित थीं, कुल छह की संख्या में, पर विचार किया गया और विचार के दौरान जिन आपत्तियों को उचित पाया गया, उनका संशोधन किया गया और उत्तरों को वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, तथा जिन आपत्तियों को असंगत पाया गया, उन्हें निरस्त कर दिया गया। संशोधित उत्तर दिनाँक 25.08.2012 को वेबसाइट पर अपलोड किए गए और तत्पश्चात भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी और मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम दिनाँक 11.10.2012 को घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने कुछ प्रश्नों पर दूसरी बार आपत्ति प्रस्तुत की, जो प्रतीत होता है कि दिनाँक 25.07.2012 के बाद की गई थी, अर्थात् आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात, जिसे प्रशासनिक अव्यवस्था से बचने हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. इस चरण पर, प्रश्नों के सही उत्तरों से संबंधित आपत्तियों के विवरण में जाना विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के समान होगा। जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि विशेषज्ञ समिति का गठन अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि अर्थात् दिनाँक 25.07.2012 से पूर्व प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार करने हेतु किया गया था और तदनुसार संशोधन भी किए गए, जो अनुलग्नक आर/2 से स्पष्ट है। यह भी ध्यान दिया गया कि याचिकाकर्ता ने केवल 275.9518 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि अंतिम चयनित अभ्यर्थी ने 347.39 अंक प्राप्त किए। अतः किसी भी प्रकार की कल्पना से परे है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए उत्तरों को यथावत स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकता।

14. यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और न्यायालय को अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठना चाहिए।(देखें: बसवैय्या (डॉ.)

बनाम डॉ. एच.एल. रमेश एवं अन्य[2] (पुर्वोक्त) तथा सजीश बाबू के. बनाम एन.के. संथोष एवं अन्य[3] (पूर्वोक्त) तथा बिहार लोक सेवा आयोग बनाम कामिनी[4]।

15. अतः इस चरण पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता, विशेषकर जब अन्य सफल अभ्यर्थियों को उत्तरवादीगण के रूप में पक्षकार हेतु सम्मिलित भी नहीं किया गया है, यहाँ तक कि प्रतिनिधिक क्षमता में भी नहीं।

16. उपर्युक्त कारणों से, विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता। फलस्वरूप, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

17. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)

4 (2007) 5 एससीसी 519